रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 2000 (आषाढ़ 31, 1922)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 2000 (ASADHA 31, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

मुंबई--400001, दिनांक 1 जुलाई 2000

सं० लोऋका/20.14.02/औद्योगिक वित्त निगम बांड--औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15वां) के खंड 43 के अंतर्गत बनायी गयी औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 30 जून 2000 को समाप्त हुए छ माहों के लिए गुम हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिनके संबंध में प्रथम दृष्टया यह मानने के लिये आधार है कि ये बांड खो गये हैं और आवेदकों के दावे न्याय संगत हैं । जिन दावेदारों के नाम नीचे दिये गये हैं, उनसे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना हो तो वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई–400 001, से तत्काल संपर्क करें । यह सूची दो भागों में विभाजित की गयी है, भाग क उन प्रतिभूतियों की सूची है, जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग ख उन प्रतिभूतियों की सूची है, जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है ।

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	निम्नलिखित के नाम जारी	निम्नलिखित दिनाक स ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान/ डुप्लीकेट जारी करने और उपचित ब्याज के भुगतान के लिए दावेदारों के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया
1	2	3	4	5	6	7
सूची क–			कुछ नहीं ।			
सूची ख–						
7.25 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 1997						
1. बी वाई–000908–(3×1,00,000/-) बी वाई–000910	3,00,000/-	ए एन ग्रेड ग्रिडलेज बैंक	29-9-1995	मधुर कैपिटल और फायनान्स लि० अहमदाबाद	मामला सं० 20-4-2075 महाप्रबंधक के दिनांक 3-3-1999 के आदेश तथा उसी दिनांक की केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 718	31-07-1999
13 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2008 (64वीं शृंखला)						
1. बी वाई–000077–(6×10,00,000) बी वाई–000082	60,00,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	28-1-1996	न्यासी, भारत पैट्रोलियम निगम लि० की उपदान निधि	मामला सं० 20-04-2034 महाप्रबंधक के दिनांक 8-1-1998 के आदेश और केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 404 दिनाक 12-1-1998	14-02-1998

ए० बी० तेलंग
महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिजर्व बैंक के लिए
श्री व्ही० बी० शिकारखाने स०प्र०
कृते प्रबंधक

(केन्द्रीय कार्यालय)

शहरी बैंक विभाग

गारमेंट हाऊस, पहली मंजिल

मुम्बई-400018, दिनाक 21 जून 2000

सदर्भ सं० श०बैं०वि० वी आर. 10/16.05.00/1999-2000–भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :

1. ''सिटीज़न को–आपरेटिव बैंक लि०, मुंबई महाराष्ट्र'

शब्दों के लिए

''सिटीज़न क्रेडीट को–आपरेटिव बैंक लि०, मुंबई''

शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

एम० एम० एस० रेखराव
मुख्य महाप्रबंधक

सिंडीकेट बैंक

6, भगवानदास रोड

नई दिल्ली

मुख्य कार्यालय : मनीपाल

कर्नाटक, दिनांक 2000

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) अधिनियम, 2000

सं० 430/एस/0089/पी डी आई आर डी (ओ) दिनांक 1-2-95 तथा 3439/एस/0089/पीडीआईआरडी (ओ) दिनांक 15-11-95 (राजपत्र दिनांक 10-8-95 एवं 9-12-95)—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम (वर्ष) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिंडीकेट बैंक दिनांक के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए (बैंक का नाम) का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों को (बैंक का नाम) अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू होंगे :

(I) बैंक का अध्यक्ष;

(II) बैंक का प्रबन्ध निदेशक;

(III) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो;

(IV) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी;

(V) वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है;

(VI) पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफ);

(VII) संविदागत अधिकारी;

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "बैंक" से (बैंक का नाम) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से (बैंक का नाम) का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है;

(i) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है;

(ii) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरू करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :—

(क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरू किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित है या

(ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरू किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उनकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(ग) उसे ऐसा कार्य शुरू करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या संम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "निगमित समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेसीडेंट), सभापति (चेयरमैन), प्रबंधक, सचिव कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे चयनित हो या अन्यथा शामिल है।

(ङ) "अधिकारी कर्मचारी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो।

4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

(2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर लिखित आदेश द्वारा

ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा ।

(3) किसी व्यक्ति को उप-विनियमन (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा नामत:

(क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त ;

(ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो;

(ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेनदेन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो;

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिससे बैंक के साथ संबंध या सम्पर्क रहेगा;

(ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के है जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुचित लाभ उठा सकता है;

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियां, और

(छ) कोई अन्य संबद्ध कारक ।

4. जहाँ उप विनियम (2) के अन्तर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अवधि के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है;

बशर्ते कि, किसी ऐसे मामले में जहाँ कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना माँगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी ।

5. जहां बैंक किसी शर्त के अध्यधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है या ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक बैंक में ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे ;

बशर्ते कि, इस उप विनियमन के तहत ऐसी शर्त को रद्द करने वाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ का अवसर न प्रदान किया जा सके ।

6. इस विनियमन के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा ।

वाई० एम० पै
महा प्रबंधक

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

2, एन० एस० रोड,

कलकत्ता-700, 001 दिनांक 5 जुलाई 2000

सं० प्र०का०/विधि/0576—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिर्जव बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 19 के उप-विनियम (1) के स्पटीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायगा, अर्थात्-

"परन्तु जिस अधिकारी कर्मचारी की जन्म-तिथि महीने की पहली तारीख को है, वह सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन अपराह्न को सेवा-निवृत्त होगा ।"

आर० एल० बत्ता
सहायक महाप्रबंधक (विधि)

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे :-

अधिसूचना सं०	दिनांक
लीगल/1/87	19/8/87
लीगल/2/87	14/9/87
लीगल/3/87	2/11/87
लीगल/4/87	2/11/87

अधिसूचना सं	दिनांक
लीगल/6/87	20/11/87
लीगल/2/88	7/10/88
लीगल/2/89	30/10/89
लीगल/3/90	22/6/90
लीगल/2/90	21/6/90
लीगल/5/87	13/11/87
एच०ओ/लीगल/एक्स-29/0646	18/8/92
एच०ओ/लीगल/334/0647	18/8/92
एच०ओ/लीगल/0550	17/8/93
एच०ओ/लीगल/1500	16/2/94
एच०ओ/लीगल/2614	11/01/95
एच०ओ/लीगल/2658	19/01/95
एच०ओ/लीगल/0279	15/06/95
एए०ओ/एडीएमएन/5/1656	06/11/96
एच०ओ/लीगल/0938	25/01/97
एच०ओ/लीगल/1236	15/03/97
एच०ओ/लीगल/1273	04/03/99
एच०ओ/लीगल/949	10/12/99
एडीएमएन/6/1992	26/6/20000

कलकत्ता–700001, दिनांक 8 जुलाई 2000

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर–सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000

सं० एच० ओ०/लीगल/0598—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एच० ओ०/लीगल/0285 दिनांक 16/6/1995 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन विनियमो को इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे :—

(i) बैंक का अध्यक्ष,

(ii) बैंक का प्रबंध निदेशक,

(iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो,

(iv) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी,

(V) वे, जो आकस्मिक रोजगार में है या जिन्हें आविष्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है

(Vi) पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफ)

(Vii) संविदागत अधिकारी

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "बैंक" से इलाहाबाद बैंक अभिप्रेत है,

(ख) "बोर्ड" से इलाहाबाद बैंक निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी अभिप्रेत है

(घ) "गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) किसी भी रूप में कोई रोजगार जिसमें किसी कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी सहित) सहकारी समिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) का निदेशक और ऐसी फर्म को भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है,

(ii) उन मामलों मे, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरू करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :—

(क) कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले, जिनके संबंध में व्यवसाय शुरू किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित हैं या

(ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरू किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(ग) उसे ऐसा कार्य शुरू करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या सम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण —इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "निगमित समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेसीडेंट), सभापति (चेयरमैन, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जैसा कोई पद धारित करना, चाहे चयनित हो या अन्यथा शामिल है ।

(ङ) "अधिकारी कर्मचारी" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो ।

4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो और अपनी सेवा-निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी ।

(2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पत्र पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा ।

(3) किसी व्यक्ति को उप विनियमन (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमति देने या इस प्रकार की अनुमति से मना करने पर बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा नामत:

(क) अपनाए जाने वाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त,

(ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि बैंक के साथ उसका संघर्ष हो,

(ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबकि वह सेवा में था, ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेन-देन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो,

(घ) क्या प्रस्तावित व्यावसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या सम्पर्क रहेगा,

(ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के है जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुचित लाभ उठा सकता है,

(च) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलब्धियाँ, और

(छ) कोई अन्य संबद्ध कारक ।

(4) जहां उप विनियमन (2) के अंतर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमति नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर दी है,

बशर्ते कि, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी त्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी ।

(5) जहां बैंक किसी शर्त के अध्यधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमति प्रदान करता है का ऐसी अनुमति देने से मना करता है तो आवेदक बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और बैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझे,

बशर्ते कि, इस उप विनियमन के तहत ऐसी शर्त को रद्द करने वाला आदेश या बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ का अवसर न प्रदान किया जा सके ।

(6) इस विनियमन के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा ।

आर० एल० बत्रा
सहायक महाप्रबंधक (विधि)

कार्पोरेशन बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय

मंगला देवी मार्ग

मंगलूर 575001, दिनांक 24 जून 2000

सं० काप्रप : औसं : असेवि संशोधन : 227 : 2000-2001 बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधि-नियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा

(2) के साथ पठित 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कार्पोरेशन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) ये विनियम कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाए जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कार्पोरेशन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में विनियम 19 के उप-विनियम (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाएगा अर्थात :—

"परन्तुक यह कि किसी अधिकारी कर्मचारी जिसकी जन्म की तिथि किसी माह की पहली तारीख हो, वह सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, पूर्व महीने के अंतिम दिन अपराह्न सेवा से सेवा-निवृत्त होगा"

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियम में इससे पहले किए गए संशोधन निम्न विवरणानुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे :

अधिसूचना सं०	दिनांकित
1	4-1-1997

एम० एस० कामथ
उप महा प्रबंधक
कार्मिक प्रशासन प्रभाग

अनुबंध II

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्र० का० लोकमंगल, 1501 शिवाजी नगर

पुणे 411005, दिनांक 27 जून 2000

सं० एएक्स 1/एसटी/ओ एस आर/4464/2000—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5)* की धारा एफ की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

1. संक्षित नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम **बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली 1995 के उप-विनियम 22 (4) (ख) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :

(ख) खण्ड (क) की कोई भी बात त्यागपत्र, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के कारण हुए व्यवधान पर लागू नहीं होगी।

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम दिनांक 29 सितंबर, 1995 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुए थे ।

आर० एन० नावडे
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्र० का० 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर,
पुणे 411005

सं० ए एक्स/ओ एस आर-2000—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मण्डल, भारतीय रिर्जव बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी , एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2000 कहलाएंगे ।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू गे ।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979, विनियम 38 निम्नानुसार बदला जाएगा ।

छुट्टी का व्ययगत (समाप्त) होना

38. "नीचे उल्लिखित के सिवाय, किसी अधिकारी द्वारा त्यागपत्र देने, सेवानिवृत होने, मृत्यु होने, सेवामुक्त करने, बर्खास्तगी या किसी अन्य कारण, जो भी हो, से सेवासमाप्ति पर उसके द्वारा संचित सभी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी :

परन्तु यह तब जबकि जहां कोई अधिकारी इन विनियमों के विनियमन 19 के अनुसार बैंक की सेवा से निवृत होता है अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1955 के अनुसार, 1 नवम्बर, 1993 को या उसके बाद

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो वह अधिकतम 240 दिनों तक की किसी भी अवधि की अपने द्वारा संचित विशेषाधिकार छुट्टी की परिलब्धियों के बराबर राशि पाने का पात्र होगा।

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि को वह राशि देय होगी जो अधिकारी द्वारा उसकी मृत्यु की तारीख को संचित अधिकतम 240 दिनों तक की किसी भी अवधि की विशेषाकार छुट्टी लेने की स्थिति में देय होती।"

आर० एन० तावडे
उप महाप्रबन्धक कार्मिक
बैंक आफ महाराष्ट्र
प्र० का० लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे-411005

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक

संख्या : एन-15/13/7/2/96-यो० एवं वि० (2)--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 2000 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

"हुबली तालुक में बडुवत्ती तथा जिला रायचूर राजस्व ग्राम/नगरपालिका सीमा के भीतर का क्षेत्र"।

जी० एल० कपूर
निदेशक (यो० एवं वि०)

दी इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

कानपुर-208 0 08, दिनांक 26 जून 2000

सं० 3 सी० सी० ए० (4) (2)/99--2000--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान विनियम सन् 1988 के विनियम सन् 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर मे से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गयी तिथियों से हटा दिया गया है :---

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	002746	मि० देशपांडे मधुकर नीलकण्ठ मधुकर नीलकण्ठ ब्लाक ई नूरडा बिल्डिंग बाम्बे मार्केट जी०ई० रोड रायपुर-492001	14-12-1999
2.	003436	मि० वर्धने दया शंकर द्वितीय मंजिल, इन्दिरा मार्केट सुभाष रोड, अलीगढ़-202 001	23-05-1999
3.	008200	मि० पनसी गोपाल कृष्ण गणेश 46, वसुदेव नगर इन्दौर-452001	16-08-1998
4.	008209	मि० जैन रामेश चन्द्रा 1 कल्पना लोक कालोनी खड़न्जा राजा रोड इन्दौर-452001	19-11-1999
5.	008578	मि० अग्रवाल राजेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार सुभाष रोड, अलीगढ़-202001	06-05-1999
6.	015242	मि० अग्रवाल योगेन्द्रा कुमार मेन रोड जिला धनबाद झारिया-828111	06-12-1999
7.	017731	मि० विजय कुमार महेश महेश भवन आर्या नगर हापुड़-245101	06-05-1999
8.	031159	मि० दोषी दिनेश चन्द्रा मनिकलाल मिश्रा टावर 1/4 मल्हार गंज इन्दौर-452002	05-12 1999
9.	070649	जैन सुदेश चन्द्रा 113/72,स्वरूप नगर, कानपुर-208 001	26-06-1999
10.	074575	मि. अग्रवाल अजय कुमार 111ए/380 अशोक नगर, कानपुर-208 013	02-08-1999
11.	076890	मि० तिवारी विनय कुमार 117/535, पाण्डु नगर, कानपुर-208 005	02-05-1999
12.	078196	मि० शुक्ला मनोज कुमार के30/67 बीबी हटिया वाराणसी-221001	25-01-1999

क्र०सं०	सदस्यता सं०	नाम व पता	दिनांक
13.	078290	मि० भाटिया बलजीत सिंह द्वारा एम/5, आई०एम० भट्टी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एल०आई०सी० बिल्डिंग माल रोड, कानपुर-208 001	19-10-1998
14	078591	मि० अग्रवाल सुशील कुमार 43/26/01, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर-302020	09-07-1999

अशोक हुल्दिया
सेक्रेटरी

RESERVE BANK OF INDIA
PUBLIC DEBT OFFICE
Mumbai-400001, the 1st July, 2000

No. PDO-20-14-02/I.F.C.Bonds :—In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds Regulation, 1949, framed under Section 43 of the Industrial Finance Corpn. Act, 1948 (XV of 1948), the following list for the half year ended 30th June, 2000 of I.F.C I.Bonds lost etc., in respect of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicants is just, is hereby published. All persons, other than the relative claimants named below, who have any claim upon these Bonds, should communicate immediately with the Regional Director, Reserve Bank of India, Public Debt Office, Mumbai-400001. The list is divided into two parts, part 'A' being the list of securities advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

Sl. No. Bond Number	Value in Rs.	In whose name issued	From what Date Bearing interest	Name (s) of the claimants(s) For payment of discharge Value/issue of duplicates and payment of accrued interest.	No. and date of Orders issued	Date of publication of the list, in which the security was first included.
List A		NIL				
List B—						
7.25 % IFCI Bonds 1997						
1. BY000908-910	3,00,000/— (3x 1,00,000/-)	ANZ Grindlays Bank	29-9-1995	Madhur Capital and Finance Ltd., Ahmedabad.	Case No. 20.04.2075, General Manager's orders dated 3-3-1999 C. O. Diary No. 718 of date.	31-7-99
13 % I. F. C. I. Bonds 2008 (64th Srs.)						
1. BY 000077-BY 000082	60,00,000/— (6x 10,00,000)/—	Reserve Bank of India	28-1-1996	Trustees, Gratuity Fund of Bharat Petroleum Corporation Ltd.	Case No. 20.04.2034 General Manager's orders dated 8th January 1998. C. O. Diary No. 404 dated 12th January 1998.	14-2-1998

A. B. TELANG
Regional Director for Maharashtra & Goa.

For Reserve Bank of India
V. B. SHIKARKHANE
A M., ACD-G—0043

CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
1st FLOOR, GARMENT HOUSE, WORLI
Mumbai-400018, the 21st June, 2000

Ref. UBD No. BR. 10/16.05.00/99-2000—In pursance of clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations shall be made in the second schedule to the said Act, namely :-

For the words "Citizen Co-operative Bank Ltd., Mumbai Maharashtra"

The words "Citizen Credit Co-operative Bank Ltd., Mumbai shall be substituted".

M. M. S. REKHRAO
Chief General Manager

SYNDICATE BANK

6-BHAGWAN DASS ROAD

H.O. MANIPAL (KARNATAKA)

New Delhi, the 2000

OFFICER EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATION, 2000

No. ————————.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of the notification published in the Gazette of India vide 430/S/0089/PD.IRD(O) dt. 1-2-95 and 3439/S/0098/PD. IRD (O) dt. 15-11-95 (Gazette date 4-3-95 & 9-12 95), the Board of Directors of the Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :—

(1) These Regulations maye be called SYNDICATE BANK Officer Employees (Acceptance of jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. APPLICATION :—

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except :—

(i) Chairman of the bank;

(ii) Managing Director of the bank;

(iii) Whole time Director, if any;

(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;

(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;

(vi) The Award Staff;

(vii) Officers on contract.

3. DEFINITION :—

In these Regulations unless the context otherwise requires :—

(a) 'Bank' means SYNDICATE BANK;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the SYNDICATE BANK;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means :—

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person :—

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

EXPLANATION :—For the purpose of this clause, the expression "employment under a co operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called

4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT :—

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely :—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;

(e) whether his commerical duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for:

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such conditions or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

Y. M. PAI
General Manager

ALLAHABAD BANK

HEAD OFFICE
2. N. S. Road

Calcutta-700001, the 05th July 2000

No. H.O./Legal/0576 ;—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub section (2)of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulations may be called Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Allahabad Bank Officers') Service Regulations, 1979 after explanation to sub-regulation (1) of regulation 19, the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that an officer employee whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of retirement."

R. L. BATTA
Asstt. General Manager (Law)

Foot Note:—the amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Official Gazette as per details given below;

Notification No.	Dated
Legal/1/87	19/8/87
Legal/2/87	14/9/87
Legal/3/87	2/11/87
Legal/4/87	2/11/87
Legal/6/87	20/11/87
Legal/2/88	7/10/88
Legal/2/89	30/10/89
Legal/3/90	22/6/90
Legal/2/90	21/6/90
Legal/5/87	13/11/87
H.O./Legal/X-29/0646	18/08/92
H.O./Legal/334/0647	18/08/92
H.O/Legal/0550	17/8/93
H.O/Legal/1500	16/02/94
H.O/Legal/2614	11/01/95
H.O/Legal/2658	19/1/95
H.O/Legal/0279	15/6/95
H.O-Admn/5/1656	6/11/96
H.O/Legal/0938	25/01/97
H.O/Legal/1236	15/03/97
H.O/Legal/1273	04/03/99
H.O/Legal/949	10/12/99
Admn/6/1992	26/6/2000

Calcutta-700001, the 08th July, 2000

Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulation, 2000

No. HO/Legal/0598 :—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supersession of the notification published in the Gazette of India vide HO/Legal/0285 dated 16-6-1995, the Board of Directors of the Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:

Short Title and Commencement:—

(1) These Regulations may be called Allahabad Bank Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :—

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except :—

(i) Chairman of the bank;
(ii) Managing Director of the bank;
(iii) Whole time Director, if any;
(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;
(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;
(vi) The Award Staff;
(vii) Officers on contract.

3. Definition :—

In these Regulations unless the context otherwise requires:—

(a) 'Bank' means Allahabad Bank;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the Allahabad Bank;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means:—

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person;—

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

Explanation:—For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. Acceptance of Employment after Retirement:—

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an Officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely :—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer ;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as bring him into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant the bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

R. L. BATTA
Asstt. General Manager (Law)

CORPORATION BANK

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

HEAD OFFICE

Mangla Devi Temple Road,

Mangalore-575 001, the 24th June, 2000

No. PAD : IR: OSR Amend : 227 : 2000-2001—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Corporation Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

[1] These regulations may be called the Corporation Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

[2] They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Corporation Bank (Officers') Service Regulations, 1982, after explanation to sub-regulation (1) of regulation 19, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that an officer employee whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of retirement."

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulation were published in the Official Gazette as per details given below :

Notification No.	Dated
1	4-1-1997.

M. S. KAMATH
Deputy General Manager
Personnel Administration Division

BANK OF MAHARASHTRA

Lokmangal, Pune-411005, the 27th June 2000

No. AX-1/ST/OSR/4464/2000.—In exercise of the powers conferred by Clause (f) of sub-section (2) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of Maharashtra, in consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely—

1. (1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.'

2. In the Bank of Maharashtra (Employees') Pension Regulations, 1995 for clause (b) of sub-regulation 4 of regulation 22 the following clause shall be substituted namely :—

(b) Nothing in clause (a) shall apply to interruption caused by resignation, dismissal or removal from service."

Foot Note :— The principle regulations were published in the Gazette of India Extraordinary dated 29th September, 1995.

R. N. TAWADE
Dy. General Manager (P)
Bank of Maharashtra

No. AX1/ST/OSR/2000.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 for regulation 38, the following regulation shall be substituted, namely :—

"38 Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days, of privilege leave that he had accumulated;

Provided further that where an Officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period, not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death."

R. N. TAWADE
Dy. General Manager (P)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the June 2000

No. N-15/13/7/2/96-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 1st July, 2000 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely:—

"The areas comprising the revenue village/municipal limits of Vaduvatti in Hobli, Taluk and District Raichur."

G. L. KAPOOR
Director (P & D)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(DECENTRALISED OFFICER)
POST BOX NO. 314, 16/77, CIVIL LINES
(BEHIND RESERVE BANK OF INDIA)
Kanpur-208 001, the 26th June 2000
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3 CC(4)(2)/99-2000.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause(a)of sub-section (1) of Section 20 of chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed

from the Register of Members of this Institute on account of Death the name of the following members w.e.f. the date mentioned against their names :—

S. No.	MRN	Name & Address	Date
1.	002746	Mr. Deshpande Madhukar Nilkanth, Block 'E' Newrda Building Bombay Market, G.E. Road, Raipur-492001.	14-12-1999
2.	003436	Mr. Varshney Daya Shanker, 2nd Floor Indra Market, Subhash Road, Aligarh-202001.	23-05-1999
3.	008200	Mr. Panse Gopal Krishna Ganesh, 46, Vasudeo Nagar, Indore-452004.	16-08-1998
4.	008209	Mr. Jain Ramesh Chandra, 9, Kalpana Lok Colony, Khajrana Road, Indore-452001.	19-11-1999
5.	008578	Mr. Agrawal, Rajendra Kumar, Subhash Road, Aligarh-202001.	06-05-1999
6.	015242	Mr. Agarwal, Yogendra Kumar, Main Road, Distt. Dhanbad, Jharia-828111.	06-12-1999
7.	017731	Mr. Vijay Kumar Mahesh, Mahesh Bhawan, Arya Nagar, Hapur-245101.	07-05-1999
8.	031159	Mr. Doshi Dineshchandra Maneklal, Mishra Tower, 1/4, Malharganj, Indore-452002.	05-12-1999
9.	070649	Mr. Jain Sudhish Chandra, 113/72, Swaroop Nagar, Kanpur-208002.	26-06-1999
10.	074575	Mr. Agrawal Ajay Kumar, 111A/380 Ashok Nagar, Kanpur-208012.	02-08-1999
11.	076890	Mr. Tiwari Vinai Kumar, 117/535, Pandu Nagar, Kanpur-208005.	02-05-1999
12.	078196	Mr. Shukla Manoj Kumar, K 30/67, Bibihatia, Varanasi-221001.	25-01-1999
13.	078290	Mr. Bhatia Baljeet Singh, C/o M/s. I.S. Bhatty & Co., Chartered Accountants, L.I.C. Building, The Mall, Kanpur-208001.	19-10-1998
14.	078591	Mr. Agarwal, Sushil Kumar, 43/26/01, Swarn Path, Mansarowar, Jaipur-302020.	09-07-1999

ASHOK HALDIA
Secretary

PUNJAB WAKF BOARD
AMBALA CANTT.
CORRIGENDUM

No. Wakf/45/(2)/Genl/Pub/Gazette/F. No./Vol. I (Corrigendum)—In exercise to the power conferred under section 27 of the Wakf Act, 1995 which are accessible by me under the delegated power by the Administrator, Punjab Wakf Board U/S 40 of the Wakf Act, 1995, properties are hereby declared as Sunni Wakf and the following corrigendums in respect of under mentioned Wakf properties published in the Government of India Gazette Part III Section 4 :—

Sr. No.	Page No. of Gazette	Sr. No. of Gazette	Date of Gazette	District/ Tehsil	Village	Amendment
1.	2	994	9-1-71	Amritsar	Amritsar	In column No. 5 & 6 may be read as 60K-17M of Khasra No. 947 instead of 6K-17M of Khasar No. 947.
2.	3663	5	9-10-99	Jalandhar Phillaur	Apra	In column No. 6 may be read as 0K-8M instead omitted area (Tour No. 40).
3.	506-507	2	15-1-1972	Ambala	Tharwar	In column No. 5 may be read as 7K-11M instead of omitted area.

Note :

Sr. No. 1 According to the Jamabandi for the year 1975-76

Sr. No. 2 According to the report dated 13-3-2000 of Estate Officer PWB, Phagwara.

Sr. No. 3 According to the Jamabandi 1997-98, 1982-83.

AKHLAQ AHMED KHAN
Chief Executive Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000